



राजस्थान सरकार



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2019

दायर दिनांक:-29.01.2019

पीठासीन अधिकारी-श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

- भंवर लाल सैनी पुत्र श्री रामेश्वरलाल सैनी जाति माली उम्र 42 वर्ष निवासी फुलेरा जिला जयपुर।  
.....वादी

### बनाम

- किशनलाल पुत्र हीरा, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- लाडा देवी पत्नि भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- रणजीत पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- खेमराज पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- विश्राम पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- संतोष पुत्री भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- प्रेम पुत्री भंवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- राजु पुत्र गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- दयाल पुत्र गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- पप्पु पुत्र गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- कंवरी पुत्री गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- गौरां पुत्री गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- घोट्टया पुत्री गोविन्द,, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- भंवरी देवी पत्नि गोविन्द, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- रामदेव पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- नानूराम पुत्र लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- कानाराम पुत्र लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- छोटू पुत्र लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- बीजाराम पुत्र लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- कमला पुत्री लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- चौथी पत्नि लालू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- दीपक पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- सरोज पुत्री कल्याण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- सुमन पुत्री कल्याण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- संजु पुत्री कल्याण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- सीतादेवी पत्नि सांवरलाल, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- गणेश पुत्र लिछमण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- केदार पुत्र लिछमण, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- केशर पत्नि देवाराम, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- रामेश्वर पुत्र लादू, जाति माली, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़, अजमेर।
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0।
- बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रूपनगढ़, जरिये शाखा प्रबंधक।
- बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सुरसुरा, जरिये शाखा प्रबंधक।
- बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा फुलेरा, जरिये शाखा प्रबंधक।

.....अप्रार्थीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक-29.08.2022


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 के संयुक्त कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में खसरा नं0 1171 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 1172 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1173 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 1174 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 1175 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 1176 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नं0 1177 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा इस प्रकार कुल खसरा 7 का कुल रकबा 41 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)



वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का संयुक्त हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 8 से 14 का संयुक्त हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 2/9 प्रतिवादी संख्या 16 से 25 का संयुक्त हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 26 का 1/72, प्रतिवादी संख्या 27 से 28 का संयुक्त हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 29 का हिस्सा 180/4383, व प्रतिवादी संख्या 30 का हिस्सा 794/4383 राजस्व रिकार्ड अनुसार अन्तर्निहित/दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 30 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 संयुक्त लगान जमा करवाते हैं। वाद अधीन कृषि भूमि का गौके पर मय नीव, सीव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार नाप चौक कर बटवारा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 के मध्य मय नीव, सीव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का हिस्सेनुसार नाप चौक कर बटवारा नहीं होने से आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 के मध्य वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दिनांक 17.01.2019 को वादी से प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के द्वारा उक्त कृषि भूमि की बुवाई जुताई करते समय विवाद किया इस पर वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 से कहा कि मैं व आप आपस में मिलकर आपसी सहमति से विधिक बटवारा करवा लेते हैं ताकि कभी आपसी विवाद नहीं होगा इस पर प्रतिवादी संख्या संख्या 16 लगायत 19 के द्वारा कहा गया कि हम किसी तरह का बटवारा नहीं करवायेंगे। तुम्हारे को बटवारा करवाना हो तो तुम करवा लो। वाद अधीन कृषि भूमि के बाबत आये दिन प्रार्थी से विवाद करने के कारण तथा दिनांक 17.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 द्वारा आपसी सहमति से बटवारा करने से इन्कार करने के कारण एवं अन्य प्रतिवादी भी आपसी सहमति से बटवारा करने में रुचि नहीं रखने के कारण यह वाद, वाद अधीन कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 30 मध्य मय नीव, सीव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्सेनुसार नाप चौक कर बटवारा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के द्वारा कब्जे काश्त, बुवाई जुताई में बार बार हस्तक्षेप किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी के हिस्से में हस्तक्षेप किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वादी के हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 व उसके परिवारजन, नौकर, चाकर, एजेन्ट, अभिकर्ता आदि किसी तरह की कोई बाधा, रूकावट, व्यवधान कारित नहीं करे, न ही उपयोग उपभोग में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करे एवं जब तक वाद वर्णित आराजी का विधिक रूप से बटवारा नहीं हो जाता है, तब तक प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे। वाद कारण दिनांक 17.01.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 को वाद अधीन कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि पर बुवाई जुताई के संबंध में वाद विवाद करने पर एवं वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 को आपसी सहमति से बटवारा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के द्वारा इन्कार करने के कारण ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रतिवादी संख्या 31 लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 32 से 34 बैंक के यहां वाद वर्णित आराजी रहन दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 30 एवं 34 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 31 से 33 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 31 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की जमाबंदी संवत् 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 935 में खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.7361 है0, खसरा नम्बर 1172 रकबा 1.1487 है0, खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.9384 है0, खसरा नम्बर 1174 रकबा 1.0355 है0, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.8494 है0, खसरा नम्बर 1176 रकबा 1.0436 है0, खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.8979 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 6.6496 है0 भूमि वादी भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल हि0 1/9 जाति माली सा0 फुलेरा राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा (प्रतिवादी संख्या 34) व किशनलाल पुत्र हीरा हि0 1/9 (प्रतिवादी संख्या 1) जाति माली सा0 फुलेरा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा (प्रतिवादी संख्या 33) लाडांदेवी पत्नि भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 2) रणजीत पुत्र भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 3) खेमराज पुत्र भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 4) विश्राम पुत्र भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 5) संतोष पुत्री भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 6) प्रेम पुत्री भंवरलाल हि0 1/108 (प्रतिवादी संख्या 7) राजू पुत्र गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 8) दयाल पुत्र गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 9) पप्पू पुत्र गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 10) कंवरी पुत्री गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 11) गोरं पुत्री गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 12) घोदया पुत्री गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 13) भंवरी देवी पुत्री गोविन्द हि0 1/126 (प्रतिवादी संख्या 14) रामदेव पुत्र रामनाथ हि0 1/9 (प्रतिवादी संख्या 15) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा (प्रतिवादी संख्या 33) नानूराम पुत्र लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 16) कानाराम पुत्र लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 17) छोटू पुत्र लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 18) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा (प्रतिवादी संख्या 33) बीजाराम पुत्र लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 19) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा

  
अपखण्ड आधिकारी  
अजमेर



सुरसुरा (प्रतिवादी संख्या 33) कमला पुत्री लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 20) चौथी पत्नि लालू हि0 1/72 (प्रतिवादी संख्या 21) दीपक पुत्र कल्याण हि0 1/288 (प्रतिवादी संख्या 22) सरोज पुत्री कल्याण हि0 1/288 (प्रतिवादी संख्या 23) सुमन पुत्री कल्याण हि0 1/288 (प्रतिवादी संख्या 24) संजु पुत्री कल्याण हि0 1/288 (प्रतिवादी संख्या 25) गणेश पुत्र लिछमण हि0 4/81 (प्रतिवादी संख्या 27) केदार पुत्र लिछमण हि0 4/81 (प्रतिवादी संख्या 28) राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा (प्रतिवादी संख्या 32) रामेश्वर पुत्र लादू हि0 794/4383 (प्रतिवादी संख्या 29) राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़ (प्रतिवादी संख्या 30) गौरा पुत्री लिछमण हि0 1/162 राधा पुत्री लिछमण हि0 1/162 रामनाथ पुत्र लादू हि0 1/9 सर्व जाति माली सा0 देह खातेदार व माणकचन्द पुत्र कैलाशचन्द हि0 1/72 सा0 कोठी ग्राम पंचायत गनाहेडा पुष्कर खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 32 व 33 की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार प्रतिवादी संख्या 32 व 33 एक वित्तीय राष्ट्रीयकृत संस्थान है जिनका नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत राजस्व वाद में दोनों का हित सुरक्षित रखा जावे।

प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी उपरान्त तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी। जिस पर वकील वादी द्वारा आपत्ति पेश की गयी कि वादी को अपने हिस्से के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने से परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। जिस पर पुनः तहसीलदार रूपनगढ़ से रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ से पुनः प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित खातेदारों ने एक खसरे में से वादी को जमीन देने हेतु आम सहमति नहीं बन सकी क्योंकि सभी खसरा नम्बर में अलग अलग खातेदार काबिज है। वादी के प्रत्येक हिस्से पर जाने हेतु रास्ते की व्यवस्था भी की गयी थी। अतः वादी का यह कथन कि उसे अपनी जोत पर जाने में असुविधा होगी, गलत है। इस कारण पुनः कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर वादग्रस्त भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 के मध्य रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

#### ग्राम-सुरसुरा

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली सा0 फुलेरा खातेदार	1171/2 1172/3 1173/2 1174/2 1175/1 1176/2 1177/2	0.0784 0.1221 0.0972 0.1151 0.0944 0.1089 0.0948	बा01 बा01 बा02 बा02 बा02 बा02 बा02
		किता 7	0.7109	
1	केदार पुत्र लिछमण, हि0 3160/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	1171/1 1171/4	0.2746 0.3529	बा01 बा01
2	कमला पुत्री लालू, हि0 889/56868 जाति माली सा0देह	1172/1 1172/4	2.0645 0.5496	बा01 बा01
3	कंवरी पुत्री गोविन्द, हि0 507/56868 जाति माली सा0देह खातेदार	1173/1	0.7775	बा01
4	केसर पत्नि देवाराम, हि0 2627/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	1174/1 1175/2	0.9204 0.7550	बा01 बा01
5	कानाराम पुत्र लालू, हि0 889/56868 जाति माली सा0देह खातेदार	1176/1	0.8710	बा02
6	किशनलाल पुत्र हीरा, हि0 7109/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	1177/1 1177/4	0.3317 0.4265	बा02 बा02
7	खेमराज पुत्र भंवरलाल, हि0 592/56868 जाति माली सा0देह खातेदार			
8	गणेश पुत्र लिछमण, हि0 3160/56868 जाति माली राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा			
9	गौरा पुत्री गोविन्द, हि0 507/56868 जाति माली			



- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 10 | सा0देह खातेदार<br>गोरा पुत्री लिछमण, हि0 395/56868 जाति माली  |  |  |
| 11 | सा0देह खातेदार<br>धोदया पुत्री गोविन्द, हि0 507/56868 जाति माली   |  |  |
| 12 | सा0देह खातेदार<br>चौधी पत्नि लालू हि0 889/56868 जाति माली   |  |  |
| 13 | सा0देह खातेदार<br>छोट पुत्र लालू हि0 889/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा                     |  |  |
| 14 | दयाल पुत्र गोविन्द हि0 507/56868 जाति माली  |  |  |
| 15 | सा0देह खातेदार<br>दीपक पुत्र कल्याण हि0 222/56868 जाति माली   |  |  |
| 16 | सा0देह खातेदार<br>नानूराम पुत्र लालू हि0 889/56868 जाति माली  |  |  |
| 17 | सा0देह खातेदार<br>पप्पू पुत्र गोविन्द हि0 507/56868 जाति माली   |  |  |
| 18 | सा0देह खातेदार<br>प्रेम पुत्री भंवरलाल हि0 592/56868 जाति माली  |  |  |
| 19 | सा0देह खातेदार<br>बीजाराम पुत्र लालू हि0 889/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा                 |  |  |
| 20 | भंवरी देवी पत्नि गोविन्द हि0 507/56868 जाति माली  |  |  |
| 21 | सा0देह खातेदार<br>माणकचन्द पुत्र कैलाशचंद हि0 889/56868 जाति माली सा0 कोठी (गनाहेडा) पुष्कर                                   |  |  |
| 22 | रणजीत पुत्र भंवरलाल हि0 592/56868 जाति माली   |  |  |
| 23 | सा0देह खातेदार<br>राजू पुत्र गोविन्द हि0 507/56868 जाति माली  |  |  |
| 24 | सा0देह खातेदार<br>राधा पुत्री लिछमण हि0 395/56868 जाति माली   |  |  |
| 25 | सा0देह खातेदार<br>रामदेव पुत्र रामनाथ हि0 7109/56868 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा |  |  |
| 26 | रामनाथ पुत्र लादू हि0 7109/56868 जाति माली  |  |  |
| 27 | सा0देह खातेदार<br>रामेश्वर पुत्र लादू हि0 11592/56868 जाति माली सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़             |  |  |
| 28 | लाडा देवी पत्नि भंवरलाल हि0 592/56868 जाति माली सा0देह खातेदार  |  |  |
| 29 | विश्राम पुत्र भंवरलाल हि0 592/56868 जाति माली   |  |  |
| 30 | सा0देह खातेदार<br>सन्जू पुत्री कल्याण हि0 222/56868 जाति माली   |  |  |
| 31 | सा0देह खातेदार<br>संतोष पुत्री भंवरलाल हि0 592/56868 जाति माली  |  |  |
| 32 | सा0देह खातेदार<br>सुमन पुत्री कल्याण हि0 222/56868 जाति माली  |  |  |
| 33 | सा0देह खातेदार<br>सरोज पुत्री कल्याण हि0 222/56868 जाति माली  |  |  |

अधिका  
रूपनगढ़ (अ.स.)

1	समस्त काश्तकार मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 935	1171 / 3	0.0302	बा01
		1172 / 4	0.0494	बा01
		1173 / 3	0.0637	बां01
		1176 / 3	0.0637	बा02
		1177 / 4	0.0449	बा02
		किता 5	0.2519	

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से तक बेदखल नहीं करने, कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।



उपखण्ड अध्यक्ष अधिकारी  
रूपनगढ़ अजमेर

अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास-श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 7/19

उनवान


भंवरलाल बनाम किशनलाल

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू-ब-रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176 व 1177 के संबंध में मूल निर्णय में संलग्न तालिका अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। वादी के हिस्से में आयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में बाधा, रुकावट कारित नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मे 29.08.2022 को जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)